# न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

## दा0 खा0 अपील वाद सं0– 19/2018-19

प्रथम पक्ष – सुचित्रा कुमारी पति सुरेश कुमार महतो
ग्राम– घासीबारी, थाना–कर्रा, जिला–खूँटी।

द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, खूँटी।

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|

22.12.20

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1747R27/17-18 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.18 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

| मौजा | थाना/थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | रकबा(एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| हुटार | खूँटी 238 | 18 | 12 | 0.06 |

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि आवेदक ने उक्त भूमि 1. जीतवाहन महतो पिता महेन्द्र महतो ग्राम– घासीबारी, थाना–कर्रा वो 2. मधुसुदन महतो पिता स्व0 परिबाल महतो ग्राम– बडाईक टोली, थाना–खूँटी वो 3. बहाल महतो वो 4. सोहर महतसे वो 5. करमचन्द्र महतो दोनों पिता भाट महतो वो 6 योगेन्द्र महतो वो 7. राजेन्द्र महतो दोनों पिता महेन्द्र महतो ग्राम–घासीबारी, *थाना–कर्रा से रजिस्ट्री पट्टा सं0 967 दिनांक 13.07.2016 के द्वारा क्रय किया है।*

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि मौजा हुटार खाता नं0 18 खतियान में भोक्ता जाति दर्ज है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया एवं पाया कि उक्त वाद में उपरोक्त भूमि सर्वे खतियान में अनुसूचित जाति की भूमि है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) Proviso(b) से प्रभावित है। बिक्री हेतु सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है।

अतः अपील वाद अस्वीकृत की जाती है। अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।